प्रेस नोट -28

दिनांक- 13.01.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 191/2018 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1.मो0 मुस्तकीम पुत्र मसीहुलहक 2.जैबुनिशा पत्नी मसीहुलहक 3.राकियाबानो पुत्री मसीहुलहक निवासीगण रस्तामऊ थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्तगण को आज दिनांक 13.01.2025 को धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रु0 का अर्थदण्ड , धारा 304बी भादवि में 07 वर्ष के सश्रम कारवास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 01 वर्ष सश्रम कारावास एंव 5000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने पर 09 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की दिनांक 08.06.2018 समय 15:30 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए जला कर मार देने पर मु0अ0सं0 191/2018 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री पीयूषकांत राय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-27 दिनांक 13.03.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।